भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1604
जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की पीठ का विस्तार

1604. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रायोगिक आधार पर चेन्नई में उच्चतम न्यायालय पीठ के विस्तार या पृथक् पीठ हेतु सुझाव दिया है ; और
(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का चेन्नई या विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा या देश के किसी दक्षिणी भाग में उच्चतम न्यायालय की पृथक् पीठ खोलने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी, हां। उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की तारीख 04.10.2019 को आयोजित इसकी सभा में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) : सरकार को देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न समयों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक सांविधानिक न्यायपीठ की स्थापना की जाए और उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए चैन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुम्बई में चार कैसेशन न्यायपीठों की स्थापना की जाए। दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की अलग न्यायपीठ के विचार को भारत के उच्चतम न्यायालय से समर्थन नहीं मिला है।

****